



2026:AHC-LKO:19289-DB

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

रिट - सी सं. 1937 वर्ष 2026

सूरज शुक्ला

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, शासन लखनऊ तथा 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता	:	रीपेन्द्र गुप्ता
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय कक्ष सं. - 3माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफमाननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें याची मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत अपने दावे के निरस्तीकरण से आहत है। उक्त दावा प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दिनांक 16.01.2026 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याची ने अपना दावा विलंब से प्रस्तुत किया था।
3. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय **श्रीमती सर्वेश देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य (रिट-सी सं. 27527 वर्ष 2023)** पर निर्भर करते हैं।
4. उक्त निर्णय में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने वाद को सुनने के उपरांत तथा **गौतम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य, जो कि 2020 (11) एडीजे 321** में प्रतिवेदित है, में दिए गए निर्णय पर विचार करने के पश्चात यह पुनः प्रतिपादित किया कि उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा अवधि अव्यावहारिक एवं मनमानी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है तथा इसे 75 दिनों के स्थान पर तीन वर्ष होना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि योजना में निर्धारित समय सीमा, अर्थात् 75 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में किसी प्रकार के दुष्परिणाम का कोई प्रावधान नहीं है।

5. हमारे विचार में, उपर्युक्त योजना एक लाभकारी विधि है, अतः दावा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समयावधि युक्तिसंगत होनी चाहिए। यदि याची द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत करने में हुई विलंब के लिए पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, तो उस पर विधि के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है।

6. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने हमारे समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गौतम यादव एवं अन्य; विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 7647 वर्ष 2021** में पारित निर्णय प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं:-

"इस न्यायालय के दिनांक 02.07.2021 के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा उक्त भुगतान का प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है।

नोटिस निर्गत किया जाए, जो छह सप्ताह में प्रत्यावर्तनीय होगा।

यद्यपि प्रतिवादी सं. 1 को नोटिस प्रेषित किया जा रहा है, तथापि उसे उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

इस बीच, अभिशंसित आदेश में दिए गए उस निर्देश, जिसके अनुसार अस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत सभी दावों को समयसीमा के अंतर्गत माना जाएगा, स्थगित रहेगा।"

7. यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गौतम यादव (उपर्युक्त)** मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित संपूर्ण आदेश को स्थगित नहीं किया गया है, अपितु केवल उस निर्देश को स्थगित किया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गए दावों को सीमा अवधि के अंतर्गत माना जाएगा।

8. चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गौतम यादव (उपर्युक्त)** प्रकरण में सीमा अवधि को तीन वर्ष तक विस्तारित करने संबंधी निर्देश को स्थगित कर दिया है, अतः प्रत्येक मामले का उसके तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर परीक्षण किया जाना आवश्यक होगा, तथा यह निर्धारित किया जाएगा कि उक्त दावा प्रस्तुत करने में हुई विलंब के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान था या नहीं।

9. हमारे विचार में, प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत करने में हुई विलंब के कारणों के संबंध में याची के कथनों/तर्कों पर विचार नहीं किया गया है तथा मात्र इस आधार पर कि दावा विलंब से प्रस्तुत किया गया था, सरलतापूर्वक आदेश पारित कर दिया गया है।

10. अतएव, अभिशंसित आदेश को निरस्त एवं अपास्त किया जाता है तथा प्रतिवादी प्राधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह याची को सुनवाई का अवसर प्रदान करे और तत्पश्चात आज की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करे।

11. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

दिनांक: 17 मार्च, 2026

अखिलेश/-

(न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ) (न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।